



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 881]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 881]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1333(अ).—केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का 21) के अध्याय III के साथ पठित:—

- (i) ठेका श्रम(विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970(1970 का 37) की धारा 35;
- (ii) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1979(1979 का 30) की धारा 35;
- (iii) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996(1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श करने के बाद;

कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, उन कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है, जिनके उनसे प्रभावित होने के संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाएं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हो;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, भारत सरकार और महानिदेशक(श्रम कल्याण), जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011 को भेजें।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम कतिपय श्रम विधि(संशोधन) नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 (इसके बाद मूल नियमों में रूप में संदर्भित) में नीचे विनिर्दिष्ट किए गए स्वरूप में संशोधन किया जाएगा, नामतः :-

(i) मूल नियमों के नियम 2 में, उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंत-स्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई प्ररूप उपरोक्त अधिनियमनों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनार्थ अनिवार्य रूप से श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करने की अपेक्षा कर सकती है।”;

(ii) मूल नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप XII के बाद, निम्नलिखित प्ररूप अंत-स्थापित किया जाए, नामतः :-

“प्ररूप XIII

[ठेका श्रम(विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 17(1); भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार(नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 23(1); अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1980 के नियम 3(1) के अंतर्गत]

ठेका श्रम/प्रवासी कर्मकारों/भवन कामगारों को नियोजित करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन

स्थापन का ब्यौरा

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति
2. स्थापन का डाक पता
3. पीएन/जीएसटीआईएन/एलआईएन संख्या
4. प्रधान नियोक्ता/नियोक्ता* का पूरा नाम और पता
5. स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
6. स्थापन में किए जा रहे कार्य/भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य* की प्रकृति।
7. स्थापन में किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों/भवन कामगारों* की अधिकतम संख्या।
8. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य* के आरंभ की अनुमानित तारीख।
9. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य* की समाप्ति की तारीख।

ठेकेदारों** का ब्यौरा

क्र. सं.	नाम और पता	पीएन/जीएसटीआईएन/एलआईएन संख्या	मोबाइल सं.	ई-मेल आईडी	कार्य की प्रकृति	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या	कार्य के आरंभ की अनुमानित तारीख	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तारीख

10. रजिस्ट्रीकरण शुल्क की राशि:

प्रधान नियोक्ता/नियोक्ता* के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**प्रधान नियोक्ता द्वारा भरा जाए।

प्ररूप-XIV

एकीकृत वार्षिक विवरणी

[ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 82(1) एवं 82(2); भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम 1998 के नियम 242; तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1980 के नियम 45(1) और 56(2) के अधीन]

क्रम संख्या- क: साधारण भाग:**(क) स्थापन का नाम.....**

स्थापन का पता: गृह सं./फ्लैट सं..... गली/प्लॉट सं.....

उपनगर..... जिला..... राज्य..... पिनकोड.....

(ख) नियोजक का नाम.....

नियोजक का पता.....

उपनगर..... जिला..... राज्य..... पिनकोड.....

ईमेल आईडी..... टेलीफोन सं..... मो.सं.....

क्रम संख्या ख नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन नियोजक का रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या:

क्रम सं.	नाम	रजिस्ट्रीकरण	यदि हां, रजिस्ट्रीकरण सं.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1996		
2.	संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970		
3.	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1979		
4.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952		
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948		
6.	खान अधिनियम, 1952- कोयला खान विनियम, 1957 या खान और खनिज विनियम, 1961 के विनियम 3 के अधीन खुलने की सूचना		
7.	कारखाना अधिनियम, 1948		
8.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961		
9.	दुकान और स्थापन अधिनियम (राज्य अधिनियम)		
10.	तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि		

क्र. सं. ग प्रधान नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रम के ब्यारे

1.	संविदाकार के स्थापन के मामले में प्रधान नियोजक के नाम	
2.	स्थापन के प्रारंभ होने की तारीख	
3.	वर्ष के दौरान स्थापन में लगे हुए संविदाकारों की संख्या	
4.	वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिनको संविदा श्रम नियोजित किया गया था	
5.	वर्ष के दौरान संविदा श्रम द्वारा किए गए कार्य के श्रम दिवसों की कुल संख्या	
6.	प्रबंधक अभिकर्ता (खानों के मामले में) का नाम	
7.	पता: गृह सं./फ्लैट सं..... गली/प्लॉट सं..... उपनगर..... जिला..... राज्य..... पिनकोड..... ई मेल आईडी..... टेलीफोन सं..... मो.सं.....	

क्र. सं. घ कार्य दिवस और सप्ताह दिवस:

1.	वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या	
2.	वर्ष के दौरान कार्य किए श्रमों दिवसों की संख्या	
3.	कार्य के दैनिक घण्टे	
4.	विश्राम का साप्ताहिक दिवस	

क्र.सं. इ वर्ष के दौरान किसी दिन में नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:

क्र.सं.	पुरुष	स्त्री	किशोर (14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)	बालक (14 वर्ष की आयु से कम)	योग

क्र.सं. च मजदूरी दर (प्रवर्गवार):

प्रवर्ग	मजदूरी की दर	कर्मकारों की संख्या								
		नियमित				संविदा				
		पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर	पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर	
अति कुशल										
कुशल										
अर्ध कुशल										
अकुशल										

क्र.सं. छ (क) सदायों के ब्यौरे:-

संदत्त सकल मजदूरी		कटौती			संदत्त शुद्ध मजदूरी	
नकद रूप में	वस्तु रूप में	जुर्माना	नुकसान या हानि के लिए कटौती	अन्य	नकद रूप में	वस्तु रूप में

(ख) ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी प्रदान की गई थी:

क्रम सं.	वर्ष के दौरान	कर्मकारों की संख्या	मजदूरी सहित छुट्टी मंजूर की गई

क्र. सं. ज कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं के ब्यौरे:

क्र.सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं की प्रकृति	कानूनी (परिनियम विनिर्दिष्ट करें)

क्रम सं. झ अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1979 तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1980:

वर्ष के दौरान स्थापन में काम करने वाले ठेकेदारों की संख्या	कार्य या परिचालन की प्रकृति जिसमें अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित किया गया	नियोजित अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या	वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनमें प्रवासी कर्मकारों की नियोजित किया गया था	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों द्वारा काम किए जाने के श्रम-दिवसों की कुल संख्या
1.	2.	3.	4.	5.

सं. अ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998:

क	वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित भवन कामगारों की अधिकतम संख्या		
ख	वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या		
ख1(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के भीतर भवन कामगार अपंग हुए		
ख1(ii)	इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या		
ख1(iii)	नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या		
ख2(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई		
ख2(ii)	इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या		
ख2(iii)	इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या		
ख3(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई		
ख3(ii)	इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या		
ख3(iii)	इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या		
ख4(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या		
ग	तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्थापन के प्रबंधन, इसकी अवस्थिति, या अन्य किन्हीं विवरणों में परिवर्तन, यदि कोई हो		

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने स्थापन पर लागू श्रम विधियों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान..... तारीख..... यहां हस्ताक्षर करें.....

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पण : कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 अधिसूचना संख्या सा.का.नि.294(अ), तारीख 28 मार्च, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड(i) में प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

G.S.R. 1333(E).—The following draft of certain rules to amend the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by:-

- section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
- section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);
- section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and after consultation with the expert committee;

10. Amount of registration fee:

Signature of the Principal employer/Employer*

* Please strike off whichever is not applicable.

** To be filled in by the Principal Employer.

FORM-XIV
UNIFIED ANNUAL RETURN

[Under rule 82(1) & 82(2) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971;
rule 242 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service)
Central Rules, 1998; and rule 45(1) & 56(2) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and
Conditions of Service) Central Rules, 1980]

S.NO. A. General part:

(a) Name of the establishment _____

Address of the establishment: House No./Flat No. _____ Street/ Plot No. _____
Town _____ District _____ State _____ Pin Code _____

(b) Name of the employer _____

Address of the employer: House No./Flat No. _____ Street/ Plot No. _____ Town _____ District _____
State _____ Pin Code _____

E-mail ID _____ Telephone No. _____ Mobile No. _____

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of the establishment _____

Address: House No./Flat No. _____ Street/Plot No. _____ Town _____
District _____ State _____ Pin Code _____

E-mail ID _____ Telephone No. _____ Mobile No. _____

S.No. B Employer's registration and license number under the Acts mentioned in column (2) of the Table below:

S.No	Name	Registration	If yes (Registration No.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.		
2.	Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.		
3.	Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979.		
4.	Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.		
5.	Employees' State Insurance Act, 1948.		
6.	Mines Act, 1952- Notice of opening under Regulation 3 of Coal Mines Regulation, 1957 or Regulation 3 of MMR 1961.		
7.	Factories Act, 1948.		
8.	Motor Transport Workers Act, 1961.		
9.	Shops and Establishments Act (State Act).		
10.	Any other Law for the time being in force.		

S. No. C Details of principal employer, contractor and contract labour:

1.	Name of the principal employer in the case of a contractor's establishment.	
2.	Date of commencement of the establishment.	
3.	Number of contractors engaged in the establishment during the year.	

4.	Total Number of days during the year on which contract labour were employed.	
5.	Total number of man-days worked by contract labour during the year.	
6.	Name of the Manager Agent (In case of mines).	
7.	Address House No./Flat No. _____ Street/Plot No. _____ Town _____ District _____ State _____ Pin Code _____ E-mail ID _____ Telephone Number _____ Number _____	Mobile

S. No. D Working hours and week day:

1.	Number of working days during the year.	
2.	Number of man-days worked during the year.	
3.	Daily hours of work.	
4.	Weekly day of rest.	

S.No. E Maximum number of persons employed in any day during the year:

Sl. No.	Males	Females	Adolescents (between the age of 14 to 18 years.)	Children (below 14 years of age.)	Total

S.No.F Wage rates (Category wise):

Category	Rates of Wages	Number of workers							
		Regular				Contract			
		Male	Female	Children	Adolescent	Male	Female	Children	Adolescent
Highly Skilled									
Skilled									
Semi-skilled									
Un-skilled									

S.No.G (a) Details of payments:

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

S.No.H Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

S.No.I The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979 and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Central Rules, 1980:

Number of Contractors worked in the establishment during the year	Nature of work or operation in which inter-state migrant workmen were employed	Maximum number of inter-State migrant workmen employed	Total number of days during the year on which migrant workmen were employed	Total number of man-days of inter-State migrant workmen worked
1.	2.	3.	4.	5.

No.J Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Central Rules, 1998:

A	Maximum number of building workers employed on any day during the year		
B	The number of accidents that took place during the year		
B1(i)	The number of accidents resulting in disablement of building workers for less than 48 hours		
B1(ii)	The number of building workers involved		
B1(iii)	The number of man-days lost		
B2(i)	The number of accidents resulting in disablement of building workers beyond 48 hours but not resulting in any permanent partial or permanent total disablement		
B2(ii)	The number of building workers involved		
B2(iii)	The number of man-days lost on account of such accidents		
B3(i)	The number of accidents resulting in permanent partial or total disablement		
B3(ii)	The number of building workers involved		
B3(iii)	The number of man-days lost on account of such accidents.		
B4(i)	The number of accidents resulting in deaths of building workers and the number of resultant deaths		
C	Change, if any, in the management of the establishment, its location, or any other particulars furnished to the Registering Officer in the application for Registration indicating also the dates		

DECLARATION

It is to certify that the above information is true and correct, and I also certify that I have complied with all the provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

PLACE_____ **DATE**_____ **SIGN. HERE**_____”.

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. & Director-General (Labour Welfare)

Note : The Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 294(E), dated the 28th March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1334(अ).— (ठेका श्रम) (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है उन कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप एतद्वारा उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित करने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत विचार किया जाएगा जिसको उस राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाएं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हो;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव-और-महानिदेशक (श्रम कल्याण), जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं;

उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में-

(i) नियम 82 में, -

(I) उप नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) प्रत्येक मूल नियोक्ता और ठेकेदार श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप XIV में ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से यह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पूर्व दाखिल करेगा;”

(II) उप नियम (2) हटा दिया जाएगा;

(ii) प्ररूप XXIV और प्ररूप XXV हटा दिए जाएंगे;

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू (ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पणी : ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 191 द्वारा तारीख 10 फरवरी, 1971 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 5 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1128 (अ) द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

G.S.R. 1334(E).—The following draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India and Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

Objections and suggestions, which may be received from any person respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971,-

(i) in rule 82,-

(I) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Every principal employer and contractor shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.”;

(II) sub-rule (2) shall be omitted;

(ii) Form XXIV and Form XXV shall be omitted;

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. & Director-General (Labour Welfare)

Note : The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 191, dated the 10th February, 1971 and lastly amended vide notification number G.S.R. 1128(E), dated the 5th September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.1335(अ).— अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, उन कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप एतद्वारा उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित करने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत विचार किया जाएगा जिसको उस राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाएं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हो;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव-और-महानिदेशक (श्रम कल्याण), जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं;

उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 में-

(i) नियम 56 के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“56 प्रत्येक मूल नियोक्ता और ठेकेदार श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप XIV में ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से यह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पूर्व दाखिल करेगा;”

(ii) प्ररूप XXIII और प्ररूप XXIV हटा दिए जाएंगे;

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एल डब्ल्यू (ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पणी:- अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513(अ) द्वारा तारीख 11.08.1980 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 28 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 294 (अ) द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

G.S.R.1335(E).—The following draft of certain rules further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) is published as required by sub-section (1) of section 35 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India and Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

Objections and suggestions, which may be received from any person in respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 2017,-

(i) for rule 56, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“56. Every principal employer and contractor shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.”;

(ii) Form XXIII and Form XXIV shall be omitted;

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. Director-General (Labour Welfare)

Note: The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 513(E), dated 11.08.1980 and lastly amended vide notification number G.S.R. 294(E), dated the 28th March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.1336 (अ).— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित करने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत विचार किया जाएगा जिसको उस राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाएं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हो;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव-और-महानिदेशक (श्रम कल्याण), जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं;

उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1998 में-
 - (i) नियम 242 में, -
 - (1) उप नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(1) पंजीकृत प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप XIV में ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से यह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पूर्व दाखिल करेगा;”

(II) उप नियम (2) हटा दिया जाएगा;

(ii) प्ररूप XXV हटा दिया जाएगा;

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू (ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पणी:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) द्वारा तारीख 19 नवम्बर, 1998 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 28 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 294 (अ) द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

G.S.R.1336(E).— The following draft of certain rules further to amend the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India-and-Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

Objections and suggestions, which may be received from any person respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998,-

(i) in rule 242,-

(I) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Every employer of a registered establishment shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.”;

(II) sub-rule (2) shall be omitted;

(ii) Form XXV shall be omitted.

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. Director-General (Labour Welfare)

Note:- The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 689(E), dated the 19th November, 1998 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 294(E), dated the 28th March, 2017.